UPMO0010057982025

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–03, मुरादाबाद

पीठासीन अधिकारी– (सुरेन्द्र कुमार)**, (उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP02401**

फौजदारी निगरानी संख्या–171/2025

सद्दाम उम्र 28 वर्ष पुत्र इस्माईल,
निवासी–ग्राम इशापुर मुढिया, थाना बिलारी, जिला मुरादाबाद ।

..... **निगरानीकर्ता।**

बनाम

1– मैसर्स एम 0 के0 हार्डवेयर पानी की टंकी के पास ट्रांसपोर्ट नगर थाना मझोला, जिला मुरादाबाद द्वारा प्रोपराईटर मोहसिन अली निवासी मकान नंबर–2024, पानी की टंकी के पास, थाना मझोला, जिला मुरादाबाद ।
2– उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डी.जी.सी. (क्रिमिनल), मुरादाबाद ।

..... **विपक्षीगण।**

निर्णय

1. यह दाण्डिक निगरानी अन्तर्गत धारा–400 बी.एन.एस.एस., निगरानीकर्ता द्वारा विद्वान अतिरिक्त न्यायालय 138 एन.आई. एक्ट, मुरादाबाद द्वारा परिवाद सं0–14378/2023, एम.एस.एम. के. हार्डवेयर द्वारा प्रो. मोहसिन अली बनाम सद्दाम में पारित किये गये आदेश दिनांकित 19.04.2025, जिसके द्वारा परिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है, से क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/परिवादी की ओर प्रार्थना पत्र इस आशय का दिया गया है कि प्रार्थी उपरोक्त केस का परिवादी है। प्रार्थी आर्थिक तंगी से गुजर रहा है तथा केस में आने–जाने में भी खर्च हो रहा है। विपक्षी ने उपरोक्त केस में जमानत करा ली है एवं बयान मुल्जिम भी बन चुका है। प्रार्थी को रूपयों की आवश्यकता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर चैक में वर्णित धनराशि का 20 प्रतिशत धनराशि प्रार्थी को विपक्षी से दिलाये जाने हेतु आदेश पारित फरमाये।

3. निगरानीकर्ता की ओर से प्रार्थना पत्र उपरोक्त के विरूद्ध लिखित आपत्ति इस आशय की दी गयी है कि प्रार्थना पत्र दिनांक 20.09.2024 अन्तर्गत धारा–143 एन.आई. एक्ट नियम विरूद्ध है तथा पोषणनीय स्तर पर नहीं है। परिवाटी विपक्षी के मध्य कोई वैध अनिवार्यता नहीं है और न ही प्रश्नगत चैक वैध अनिवार्यता के क्षेत्र में आता है, जिसके आधार पर विपक्षी को तलब किया जा सके। प्रश्नगत चैक फाउण्ड एवं लोस्ट के क्षेत्र में आता है, क्योंकि प्रश्नगत चैक तथा उक्त चैक संख्या के श्रेणी के चैकों की बावत विपक्षी ने बैंक को दिनांक–24.06.2021 तथा पुलिस थाना बिलारी को दिनांक–05.02.2023 को उक्त सूचना दे दी थी। इस आधार पर विपक्षी को तलब नहीं किया जा

सकता है, क्योंकि प्रश्नगत चैक को सूचना के बाद बैंक में प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत चैक पर साक्ष्य पूर्व होने या निस्तारण पूर्व उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 143 ए एन. आई. एक्ट पोषणनीय नहीं है। इस कारण विपक्षी से 20 प्रतिशत नहीं वसूला जा सकता।

4. उक्त प्रार्थना पत्र को विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांकित 19.04.2025 के द्वारा स्वीकार किया गया है, जिसके विरूद्ध निगरानीकर्ता/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत निगरानी योजित की गई है।

5. निगरानीकर्ता/अभियुक्त द्वारा निगरानी में आधार लिये गये हैं कि, विद्वान अवर न्यायालय द्वारा एम०के० हार्डवेयर बनाम सद्दाम में पारित आदेश दिनांक 19.04.2025 साक्ष्य व तथ्य के गलत मूल्यांकन पर आधारित है तथा रिकार्ड पर उपलब्ध निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य को नजर अंदाज करते हुए उक्त प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है। निगरानीकर्ता के हस्ताक्षरित तथा बिना तारीख के प्रश्नगत चैक सं0–000003 व अन्य चैक खो गये थे, जिसके सम्बन्ध में रिवीजनकर्ता द्वारा सूचना बैंक को दिनांक 20.09.2024 तथा थाना बिलारी को दिनांक 05.02.2023 को दी थी। प्रश्नगत चैक को खोने की सूचना के बाद प्रश्नगत चैक को वापस न करके बैंक में प्रस्तुत कर अनादर कराकर नाजायज नफा हासिल करने के लिये तलवी कराई गई है। इस तथ्य को रिवीजनकर्ता ने अन्तर्गत धारा–10 एन०आई०एक्ट अपनी अपत्ति प्रस्तुत की थी, परन्तु अवर न्यायालय द्वारा 10 एन०आई०एक्ट का कथनात्मक विश्लेषण ना करते हुये उक्त आदेश पारित किया है जो खण्डनीय होने योग्य है। उत्तरदाता/परिवादी ने निगरानीकर्ता को अन्तर्गत धारा–138 एन०आई०एक्ट में गलत तथा विधि विरूद्ध तलब कराया गया था तथा तदउपरांत उत्तरदाता/परिवादी ने अन्तर्गत धारा–143 एन०आई० एक्ट 20 प्रतिशत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिस पर रिवीजनकर्ता ने उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 20. 09.2024 तथा तलबी आदेश के विरूद्ध अपनी आपत्ति अन्तर्गत धारा–10 एन०आई०एक्ट प्रस्तुत की गयी थी। निगरानीकर्ता द्वारा प्रश्नगत चैक 000003 के खोने के सम्बंध में एक प्रार्थना पत्र दि० 05.02.2023 को भी थाना–बिलारी को दिया गया था इस दस्तावेजी साक्ष्य का संज्ञान ना लेकर उक्त आदेश पारित किया गया है, इस कारण भी पारित आदेश खण्डनीय योग्य है। निगरानीकर्ता द्वारा प्रश्नगत चैक सं० 000003 उत्तरदाता/परिवादी को किसी भी सम्यक अनुक्रम में संदाय नहीं किया था और ना ही निगरानीकर्ता ने उक्त प्रश्नगत चैक को सदभावना पूर्वक दिया गया था। यह आपत्ति की गयी थी कि अवर न्यायालय ने इस तरह का संज्ञान ना लेकर उक्त आदेश पारित किया है जो कि खण्डनीय होने योग्य है। प्रश्नगत चैक खो जाने की सूचना निगरानीकर्ता द्वारा उत्तरदाता/परिवादी के प्रश्नगत चैक सं० 000003 का बैंक में प्रस्तुत करने से पूर्व दे दी थी, इस कारण प्रश्नगत चैक खोया पाया की श्रेणी में आ जाता है को चैक के खोने की सूचना के बाद बैंक में पेमेंट के लिए प्रस्तुत किया गया। इस कारण निगरानीकर्ता का प्रश्नगत चैक किसी भी वैधानिक सम्यक अनुक्रम में संदाय नहीं माना जा सकता है। इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजर अंदाज करके तथा धारा–10 एन०आई०एक्ट का विश्लेषण न करते हुए विधि विरूद्ध आदेश पारित किया गया है जो किसी दशा में स्थिर रहने योग्य नहीं है। निगरानीकर्ता ने प्रश्नगत चैक सं० 000003 के खोने की सूचना दिनांक 24. 06.2002 बैंक को तथा 05.03.2023 को थाना–बिलारी मुरादाबाद को दी

गयी थी जो साबित करता है कि प्रश्नगत चैक निगरानीकर्ता द्वारा उत्तरदाता/परिवादी को सदभावना पूर्वक नहीं दिया गया है। इस तथ्य का अवर न्यायालय द्वारा संज्ञान नहीं लिया तथा विधि विरूद्ध आदेश पारित किया गया है जो खण्डनीय होने योग्य है। अवर न्यायालय आदेश दि० 19.04.2025 द्वारा कारण भी दोषपूर्ण है, क्योंकि प्रश्नगत चैक की वैधानिकता को साबित किये वगैर जो साक्ष्य के बाद ही सम्मत थी, पारित किया गया है, इस कारण भी खण्डनीय होने योग्य है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार कर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 19.04.2025 खंडित किया जाकर निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार करने की याचना की गयी है।

6. निगरानीकर्ता व विपक्षी संख्या–1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं। मैंने विपक्षी संख्या–2 की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना एवं पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया। पत्रावली के आदेश पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि पक्षकार लम्बे समय से गैर हाजिर हैं तथा उन्हें सुनवायी हेतु पूर्व में अन्तिम अवसर भी प्रदान किया जा चुका है। चूंकि दाण्डिक निगरानी अदम पैरवी में निरस्त नहीं की जा सकती, इसलिए गुण दोष के आधार पर निर्णीत की जा रही है।

7. विपक्षी संख्या–2 की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विधिपूर्ण आदेश पारित किया गया है। अतः अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 19.04.2025 में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

8. विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि, परिवादी द्वारा धारा–143 क एन.आई. एक्ट का प्रार्थना पत्र उसे चैक में वर्णित कुल धनराशि की 20 प्रतिशत धनराशि निगरानीकर्ता से दिलाये जाने हेतु योजित किया था जो न्यायालय द्वारा चैक की कुल धनराशि की 10 प्रतिशत धनराशित निगरानीकर्ता द्वारा परिवादी को को देने हेतु स्वीकार किया गया है, जिससे क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता/अभियुक्त द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

एन.आई. एक्ट की धारा–143 क में प्रावधानित है कि–

> (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 138 के अधीन किसी अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय चेक के लेखीवाल को–
>
> (क) संक्षिप्त विचारण या समन मामले में, जहां उसने परिवाद में किए गए अभियोग का दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया हो; और
>
> (ख) अन्य किसी मामले में, आरोप विरचित किए जाने पर, परिवादी को अंतरिम प्रतिकर का संदाय करने का आदेश दे सकेगा ।
>
> (2) उपधारा (1) के अधीन अंतरिम प्रतिकर चेक की रकम के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
>
> (3) अंतरिम प्रतिकर का संदाय, उपधारा (1) के अधीन जारी आदेश

की तारीख से साठ दिन के भीतर या चेक के लेखीवाल द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर तीस दिन से अनधिक की ऐसी और अवधि के भीतर, जिसका न्यायालय द्वारा निदेश दिया जाए, किया जाएगा।

(4) यदि चेक के लेखीवाल को दोषमुक्त कर दिया जाता है, तो न्यायालय परिवादी को प्रतिकर की अंतरिम रकम लेखीवाल को, आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर या परिवादी द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर तीस दिन से अनधिक की ऐसी और अवधि के भीतर, जिसका न्यायालय द्वारा निदेश दिया जाए, सुसंगत वित्तीय वर्ष के प्रारंभ पर प्रचलित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा प्रकाशित बैंक दर से व्याज सहित प्रतिसंदाय करने का निदेश देगा।

(5) इस धारा के अधीन संदेय अंतरिम प्रतिकर इस प्रकार वसूल किया जा सकेगा, मानो यह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 421 के अधीन कोई जुर्माना था।

(6) धारा 138 के अधीन अधिरोपित जुर्माने की रकम या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 357 के अधीन अधिनिर्णीत प्रतिकर की रकम में से इस धारा के अधीन अंतरिम प्रतिकर के रूप में संदत्त या वसूल की गई रकम घटा दी जाएगी ।

विद्वान विचारण द्वारा निगरानीकर्ता को दिनांक 17.04.2023 को धारा–138 एन.आई. एक्ट में तलब किया गया था तथा निगरानीकर्ता का बयान मुल्जिम अन्तर्गत धारा–251 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांक 17.08.2024 को अंकित किया गया, जिसमें उससे प्रश्न किये जाने पर निगरानीकर्ता/अभियुक्त द्वारा कथन किया गया कि "उक्त चैक मेरा है तथा चैक पर मेरे दस्तख्त हैं।" निगरानीकर्ता द्वारा स्वयं को दोषी न होने का अभिवाक किया है एवं परीक्षण की मांग की है। निगरानीकर्ता द्वारा तथाकथित चैक पर अपने हस्ताक्षर होने का कथन किया गया है। धारा–143 क एन.आई. एक्ट के अनुसार विचारण न्यायालय परिवादी को अन्तरिम प्रतिकर 20 प्रतिशत दिलाये जाने का आदेश दे सकता है। उपरोक्त समस्त विश्लेषण के आलोक में विद्वान अतिरिक्त न्यायालय 138 एन.आई. एक्ट, मुरादाबाद द्वारा अपने क्षेत्राधिकार का विधिसम्मत प्रयोग करते हुए ही प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 19.04.2025 पुष्ट किया जाकर, प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निगरानीकर्ता सद्दाम की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी संख्या–171/2025, अन्तर्गत धारा–400 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता निरस्त की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 19.04.2025 पुष्ट किया जाता है।

कार्यालय लिपिक को आदेशित किया जाता है कि, इस आदेश की एक प्रति, अवर न्यायालय के मूल अभिलेख के साथ, नियमानुसार प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

दाण्डिक निगरानी संख्या–171/2025 की पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेन्द्र कुमार)
दिनांकः 16.07.2026 अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–3, मुरादाबाद।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

(सुरेन्द्र कुमार)
दिनांकः 16.07.2026 अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–3, मुरादाबाद।